संख्या: 54/2020/2001/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 अक्टूबर, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020, शासनादेश संख्या: 1926/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 49/2020/1987/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम किए जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त इमेजरी के अनुसार स्थिति निम्नवत है:-

(1) प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अवशेष जलाये जाने की 419 घटनायें प्रकाश में आयीं है जबकि वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में कुल 506 घटनायें थीं।

(2) अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अवशेष जलने की घटनाओं को शून्य अथवा न्यूनतम करने के विशेष प्रयास किए जायें।

(3) प्रदेश के 31 जनपदों में बायो डिकम्पोजर पहुंचाया जा रहा है जिनका कृषकों के मध्य नि:शुल्क वितरण कराना है जिससे कृषक द्वारा पराली को सडाकर खाद बना सकें।

(4) आई0ई0सी0 के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और गांवों में बैठकें कर तथा प्रचार-प्रसार के वाहन के माध्यम से पराली जलाने के दुष्प्रभाव तथा दण्ड के प्राविधान एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विषय में जनमानस को अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त डुगडुगी पिटवाकर मुनादी भी करायी जाए।

(5) ऐसे जनपद जहॉ अभी फसल कटाई प्रारम्भ नहीं हुई है अथवा जहॉ पर जलने की घटनायें कम हुई हैं वहॉ पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गत वर्ष के जनपदवार घटनाओं की की सूची संलग्न है। ऐसे जनपद द्वारा किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई न बरती जाए तथा पराली जलाने की घटनायें रोकने के लिए पूरे प्रयास जारी रखे जायें।

(6) सहकारी समिति, गन्ना समिति/पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, परन्तु संलग्न सूची के अनुसार अभी तक एटा, कासगंज, बदायूँ, कन्नौज, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, वाराणसी, गाजीपुर,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कुशीनगर, बस्ती, मऊ, बलिया, रायबरेली, उन्नाव, अम्बेडकर नगर, अमेठी, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपदों में ग्राम पंचायतों द्वारा यंत्रों का क्रय नहीं किया गया है, जबकि इन पंचायतों हेतु धनराशि कृषि विभाग द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस पर ध्यान देकर अपने जनपद के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सहकारी समितियों/गन्ना समितियों/पंचायतों द्वारा यंत्र क्रय कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पूर्ण करायें। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत धनराशि कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है तथा 20 प्रतिशत धनराशि सहकारी समिति/गन्ना समिति तथा पंचायत हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कृषकों को यंत्र सस्ते दरों पर किराये पर उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन जनपदों में एफ0पी0ओ0 एवं अन्य समितियों द्वारा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी है, उनके द्वारा भी कृषकों को सस्ते दरों पर यंत्र उपलब्ध कराये जायें।

(7) गौशालाओं में पराली भेजने की प्रगति अच्छी नहीं है। अभी तक अलीगढ में मात्र 9920 टन, मथुरा में 8000 टन, मेरठ में 800 टन, शाहजहॉपुर में 395 टन, पीलीभीत में 137 टन, हापुड में 116 टन व श्रावस्ती में 110 टन पराली गौशालाओं में भेजी गयी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जनपदों द्वारा आंशिक मात्रा में पराली गौशालाओं में भेजी गयी हैं। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में अपना विशेष ध्यान देकर पराली गौशालाओं में भिजवाना सुनिश्चित करें।

3. इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनाक 21 अक्टूबर, 2020 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने स्तर पर सघन समीक्षा करने व पराली/कूडा आदि जलाने को रोकने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: /2020/1987/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 अक्टूबर, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 तथा शासनादेश संख्या: 1926/12-2-2020-14/2016 टी0सी0 दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में फसल अवशेष जलाये जाने से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम किए जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को सेटेलाइट के माध्यम से प्राप्त इमेजरी के अनुसार स्थिति निम्नवत है:-

(1) प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अवशेष जलाये जाने की 419 घटनायें प्रकाश में आयीं है जबकि वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में कुल 506 घटनायें थीं।

(2) अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि अवशेष जलने की घटनाओं को शून्य अथवा न्यूनतम करने के विशेष प्रयास किए जायें।

(3) प्रदेश के 31 जनपदों में बायो डिकम्पोजर पहुंचाया जा रहा है जिनका कृषकों के मध्य नि:शुल्क वितरण कराना है जिससे कृषक द्वारा पराली को सडाकर खाद बना सकें।

(4) आई0ई0सी0 के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और गांवों में बैठकें कर तथा प्रचार-प्रसार के वाहन के माध्यम से पराली जलाने के दुष्प्रभाव तथा दण्ड के प्राविधान एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के विषय में जनमानस को अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त डुगडुगी पिटवाकर मुनादी भी करायी जाए।

(5) ऐसे जनपद जहॉ अभी फसल कटाई प्रारम्भ नहीं हुई है अथवा जहॉ पर जलने की घटनायें कम हुई हैं वहॉ पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गत वर्ष के जनपदवार घटनाओं की की सूची संलग्न है। ऐसे जनपद द्वारा किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई न बरती जाए तथा पराली जलाने की घटनायें रोकने के लिए पूरे प्रयास जारी रखे जायें।

(6) सहकारी समिति, गन्ना समिति/पंचायतों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, परन्तु संलग्न सूची के अनुसार अभी तक एटा, कासगंज, बदायूँ, कन्नौज, फतेहपुर, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, वाराणसी, गाजीपुर, कुशीनगर, बस्ती, मऊ, बलिया, रायबरेली, उन्नाव, अम्बेडकर नगर, अमेठी, श्रावस्ती एवं बलरामपुर जनपदों में ग्राम पंचायतों द्वारा यंत्रों का क्रय नहीं किया गया है, जबकि इन पंचायतों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

हेतु धनराशि कृषि विभाग द्वारा हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस पर ध्यान देकर अपने जनपद के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सहकारी समितियों/गन्ना समितियों/पंचायतों द्वारा यंत्र क्रय कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पूर्ण करायें। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत धनराशि कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है तथा 20 प्रतिशत धनराशि सहकारी समिति/गन्ना समिति तथा पंचायत हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कृषकों को यंत्र सस्ते दरों पर किराये पर उपलब्ध कराये जायेंगे। जिन जनपदों में एफ0पी0ओ0 एवं अन्य समितियों द्वारा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी गयी है, उनके द्वारा भी कृषकों को सस्ते दरों पर यंत्र उपलब्ध कराये जायें।

(7) गौशालाओं में पराली भेजने की प्रगति अच्छी नहीं है। अभी तक अलीगढ में मात्र 9920 टन, मथुरा में 8000 टन, मेरठ में 800 टन, शाहजहॉपुर में 395 टन, पीलीभीत में 137 टन, हापुड में 116 टन व श्रावस्ती में 110 टन पराली गौशालाओं में भेजी गयी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जनपदों द्वारा आंशिक मात्रा में पराली गौशालाओं में भेजी गयी हैं। यह स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में अपना विशेष ध्यान देकर पराली गौशालाओं में भिजवाना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अपने-अपने जनपदों में फसल अवशेष एवं अन्य प्रकार की जलने की घटनाओं को किसी भी दशा में बढने न दिया जाए जिससे मा0 उच्चतम न्यायालय में प्रदेश की स्थिति अच्छी प्रस्तुत की जा सके।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: /2020/1987(1)/12-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, पशुधन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।